


24.5.24

24.5.2024:-पत्रावली पेशी में आई। वादी वकील उपस्थित नहीं आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं हो रही है। तलबी स्तर पर कापी समय से लंबित चल रही हैं। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आए। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असागतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

